



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273778
CG-DL-E-24062026-273778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3185]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/ आषाढ 1, 1948

No. 3185]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ ASHADHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3317(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1707(E) तारीख 01/04/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-330 के कि.मी. 223.000 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 के कि.मी. 328.300 (बलरामपुर बाईपास) तक के भूखण्ड पर सड़क, (चौड़ीकरण पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन बनाना आदि) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "09-04-2026" को "आज" और "द टाइम्स ऑफ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-330 के कि.मी. 223.000 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 के कि.मी. 328.300 (बलरामपुर बाईपास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: बलरामपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बलरामपुर					
गांव का नाम: कोयलरा					
1	644	निजी	कृषिक	0.1965	पियारे पुत्र मंगोली, राकेश पुत्र बृजमोहन, राजितराम पुत्र मंगोली, राजू पुत्र बृजमोहन, श्यामनरायन पुत्र मंगोली
2	656	सरकारी	अकृषिक	0.0138	सरकारी
गांव का नाम: शंकरपुर					
3	1066	सामान्य	कृषिक/अकृषिक	0.088	(1066मि.) अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग, धनीराम पुत्र टिम्मल, श्रीमती ज्ञानमती पत्नी दुखू (1066ब) सरकारी
गांव का नाम: शेखरपुर					
4	884	निजी	कृषिक	0.004	कु. मीनू नाबा. पुत्री स्व. अखिलेश सं. सरिता माता स्वयं, कु. रिया नाबा. आयु 13 वर्ष पुत्री स्व. अखिलेश सं. सरिता

					माता स्वयं, कु. रीनू नाबा. पुत्री स्व. अखिलेश सं. सरिता माता स्वयं, मेहरुनिशा पत्नी हफीजुल्ला, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग, रूकैया खातून पुत्री हफीजुल्ला, शान्ती देवी पत्नी जनार्दन प्रसाद, सफीउल्ला नाबा. आयु 14 वर्ष हफीजुल्ला नाबा. सं. माता स्वयं, हफीजुल्लाह पुत्र रहमतुल्लाह, हमीदुल्ला पुत्र हफीजुल्ला
5	885	निजी	कृषिक	0.024	कु. मीनू नाबा. पुत्री स्व. अखिलेश सं. सरिता माता स्वयं, कु. रिया नाबा. आयु 13 वर्ष पुत्री स्व. अखिलेश सं. सरिता माता स्वयं, कु. रीनू नाबा. पुत्री स्व. अखिलेश सं. सरिता माता स्वयं, मेहरुनिशा पत्नी हफीजुल्ला, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग, रूकैया खातून पुत्री हफीजुल्ला, शान्ती देवी पत्नी जनार्दन प्रसाद, सफीउल्ला नाबा. आयु 14 वर्ष हफीजुल्ला नाबा. सं. माता स्वयं, हफीजुल्लाह पुत्र रहमतुल्लाह, हमीदुल्ला पुत्र हफीजुल्ला
Total				0.3263	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

S.O. 3317(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 1707(E) Dated:01/04/2026 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/two laning with paved shoulder etc.) Maintenance, management and operation on the stretch of land from Km 223.000 of NH-330 to Km 328.300 of NH-730 (Balrampur Bypass) in the district of BALRAMPUR in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Aaj” and “The Times of India” both dated "09-04-2026" under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 223.000 of NH-330 to Km 328.300 of NH-730 (Balrampur Bypass) in the district of Balrampur in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: BALRAMPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Balrampur					
Village: Koelra					
1	644	Private	Agricultural	0.1965	Pyare S/O Mangoli, Rakesh S/O Brijmohan, Rajitram S/O Mangoli, Raju S/O Brijmohan, Shyamnarayn S/O Mangoli
2	656	Government	Non Agricultural	0.0138	Government
Village: Shankarpur					
3	1066	Common	Agricultural / Non Agricultural	0.088	(1066MI) Executive Engineer National Highways Public Works Department, Dhaniram S/O Dimple, Smt. Gyanmati W/O Dukhu (1066Ba) Government
Village: Sekharpur					

4	884	Private	Agricultural	0.004	Ku. Meenu Na.ba. D/O Late Akhilesh C/O Sarita Mata, Ku Riya Na.ba. Age 13 years D/O Late Akhilesh C/O Sarita Mother, Ku. Reenu Na ba. D/O Late Akhilesh C/O Sarita Mata, Mehrunisha W/O Hafizullah, Executive Engineer National Highway Public Works Department, Ruqaiya Khatoon D/O Hafizullah, Shanti Devi W/O Janardan Prasad, Safiullah Naba. Age 14 Years S/O Hafizullah Naba. C/O Mother, Hafizullah / Rahmatullah, Hamidullah / Hafizullah
5	885	Private	Agricultural	0.024	Ku. Meenu Na.ba. D/O Late Akhilesh C/O Sarita Mata, Ku Riya Na.ba. Age 13 years D/O Late Akhilesh C/O Sarita Mother, Ku. Reenu Na ba. D/O Late Akhilesh C/O Sarita Mata, Mehrunisha W/O Hafizullah, Executive Engineer National Highway Public Works Department, Ruqaiya Khatoon D/O Hafizullah, Shanti Devi W/O Janardan Prasad, Safiullah Naba. Age 14 Years S/O Hafizullah Naba. C/O Mother, Hafizullah / Rahmatullah, Hamidullah / Hafizullah
Total				0.3263	

[F. No. CE-RO/LKO/NH-730/LA/2022-23/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director